

भाग-2

(सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

		प्रस्ताव की क्रम संख्या.....
7.	परियोजना/स्कीम का स्थान	गोन्डा - सरगला झरना के कि.मी. 18-19 के मध्य दूरी पर पर डPC द्वारा रिटेल जायटलेट के आवागमन के सुरक्षित वन क्षेत्र
	(1) राज्य/संघ शासित क्षेत्र	उत्तर प्रदेश
	(2) जिला	गोन्डा
	(3) वन प्रभाग	गोन्डा
	(4) वनेत्तर प्रयोग के लिए प्रस्तावित वन भूमि का क्षेत्र (हेक्टेयर में)	0.59886
	(5) वन की कानूनी स्थिति	संरक्षित वन
	(6) हरियाली का घनत्व	0.5
	(7) प्रजातिवार (वैज्ञानिक नाम) और परिधि श्रेणीवार वृक्षों की परिगणना (संलग्न की जाये) सिंचाई/जलीय परियोजना के सम्बन्ध में एक आर0एल0एफ0आर0एल0-2 मीटर पर परिगणना और एक आर0एल0 4 मीटर भी (संलग्न की जाये)	-
	(8) भूक्षरण के लिए वन क्षेत्र की संवेदनशीलता पर संक्षिप्त टिप्पणी	संवेदनशील नहीं है।
	(9) वनेत्तर प्रयोग के लिए प्रस्तावित स्थल की वन सीमा से अनुमानित दूरी।	शून्य
	(10) क्या फार्म राष्ट्रीय उद्यान वन्य जीव, अभयारण, जैवमण्डल रिजर्व, बाघ रिजर्व, हाथी कोरीडोर आदि का भाग है। यदि हाँ, क्षेत्र का ब्यौरा और प्रमुख वन्य जीव वार्डन की टिप्पणियां अनुबन्धित की जायें।	नहीं,
	(11) क्या क्षेत्र में वनस्पति और प्राणी जगत की दुर्लभ/ संकटापन्न/विशिष्ट प्रजातियाँ पायी जाती हैं, यदि हाँ तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा दें।	नहीं,
	(12) क्या कोई सुरक्षित पुरातत्वीय/पारम्परिक स्थल/रक्षा प्रतिष्ठान और कोई अन्य महत्वपूर्ण स्मारक क्षेत्र में स्थित है। यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा सक्षम प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाण-पत्र के साथ अपेक्षित हो दें।	नहीं,

8.	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा भाग-1 कालम-2 में प्रस्तावित वन भूमि की आवश्यकता परियोजना के लिए अपरिहार्य और न्यूनतम है यदि नहीं तो जाँचे गये विकल्पों के ब्यौरे के साथ मदवार संस्तुति क्षेत्र क्या है	हाँ
9.	क्या अधिनियम के उल्लंघन में कोई कार्य किया गया है/नहीं/यदि हाँ तो कार्य की अवधि दोषी अधिकारियों पर की गई कार्यवाही सहित कार्य का ब्यौरा दें। क्या उल्लंघन सम्बन्धी कार्य अभी भी चल रहा है।	नहीं ,
10.	प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम का ब्यौरा	
	(1) प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित वनेत्तर क्षेत्र/अवक्रमित वन क्षेत्र, आस-पास के वन से इसकी दूरी, भूखण्डों की संख्या, प्रत्येक भू-खण्ड का आकार	प्रतिपूरक वनीकरण के क्षेत्र के उच्चतम वन क्षेत्र
	(2) प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित वनेत्तर/अवक्रमित वन क्षेत्र और आस-पास की वन सीमाओं को दर्शाता मैप।	-
	(3) रोपित की जाने वाली प्रजातियों सहित प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के विवरण कार्यान्वयन एजेन्सी, समय अनुसूची लागत ढांचा आदि।	-
	(4) प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के लिए कुल वित्तीय परिव्यय।	1,73,653/-
	(5) प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित क्षेत्र की उपयुक्तता के बारे में और प्रबन्धकीय दृष्टिकोण से सक्षम प्राधिकरण से प्रमाण पत्र (सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा हस्ताक्षरित किया जाय।	क्षेत्र उपयुक्त है प्रमाण पत्र संलग्न है
11.	जिला वन संरक्षक की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट विशेषतः उपरोक्त कालम 7 (11,12) 8 और 9 में पूछे गये तथ्यों को दर्शाते हुए (संलग्न करें)	संलग्न है

12.	विभाग/जिला प्रोफाइल	
	(1) जिले का भौगोलिक क्षेत्र	4448.00 वर्ग मी. (444800.00 हे.)
	(2) जिले का वन क्षेत्र	11702. 233 हे.
	(3) मामलों की संख्या सहित 1980 से वनेत्तर प्रयोग में लाया गया कुल वन क्षेत्र	22 मामलों (74.71 हे.)
	(4) 1980 से जिला/प्रभाग में निर्धारित कुल प्रतिपूरक वनीकरण	93.91 हे. (वन व वनेत्तर)
	(क) दण्ड के रूप में प्रतिपूरक वनीकरण सहित वन भूमि	54.468 हे.
	(ख) वनेत्तर भूमि पर	39.442 हे.
	(5) वर्तमान तक प्रतिपूरक वनीकरण में हुई प्रगति	
	(क) वन भूमि पर	42.468 हे.
	(ख) वनेत्तर भूमि पर	36.73 हे.
13.	प्रस्ताव को स्वीकृत करने अथवा प्रस्ताव को अन्यथा लेने के सम्बन्ध में उप वन संरक्षक की विशेष सिफारिश	परिप्रेक्ष्य में महत्वपूर्ण है जहाँ से उत्पन्न स्वीकृति करने की संतुष्टि की जाती है

राज्यीय वनाधिकार
विभाग वन प्रभाग
कोटा, राजस्थान